डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : सम्ब०/1685/2026 दिनांक : 14/07/2026

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
सम्बद्ध डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषय : मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय परिसर तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत् नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों व स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों को मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने हेतु पोर्टल प्रारम्भ कर दिया गया है, जिस पर शिक्षकों द्वारा सीधे अपना फार्म https://hcmtcts.upsdc.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन पूरित करना है तथा शिक्षकों के फाइनल सब्मिट फार्म को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध **Officer Login** के माध्यम से वेरिफाई करना है, जिसके पश्चात् कुलसचिव की लॉग–इन पर सीधे ट्रांसफर हो जाएगा। समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों को उनके मोबाइल नम्बर पर टेक्स्ट मैसेज पर **User ID** आयोजक संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जा चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने संस्थान/महाविद्यालयों के शिक्षकों को उक्त सूचना अपने स्तर से प्रचारित करते हुए मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना सुविधा का शत–प्रतिशत आवेदन https://hcmtcts.upsdc.gov.in/ के माध्यम से कराते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा ऑनलाइन आवेदन वेरिफाई कराने का कष्ट करें।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा।
4. प्रभारी, कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
5. प्रभारी वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत एजेंसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के लॉग–इन आई0डी0 पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

Scan for Link